

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र बेरीवाला तला

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चेनाराम पुत्र देराज उर्फ हेराज 2. खेताराम पुत्र देराज उर्फ हेराज 3. पैलादराम पुत्र देराज उर्फ हेराज 4. जालाराम पुत्र देराज उर्फ हेराज 5. श्रीमति आसुदेवी पत्नि देराज उर्फ हेराज जातियान जाट, निवासीयान रामसर का कुआं, तहसील व जिला बाड़मेर।		1. लाधुराम पुत्र कुम्पाराम 2. गेनाराम पुत्र दानाराम 3. रेखाराम पुत्र दानाराम 4. पोकरराम पुत्र दानाराम 5. वगताराम पुत्र दानाराम 6. डालूराम पुत्र देराजराम 7. भूरीदेवी पत्नि देराजराम 8. ईशराराम पुत्र हिमथाराम 9. बाबुलाल पुत्र हिमथाराम 10. लामुराम पुत्र हिमथाराम 11. मोहनलाल पुत्र हिमथाराम 12. मोटाराम पुत्र हिमथाराम 13. राऊराम पुत्र कंवराराम 14. आईदानराम पुत्र जेठाराम 15. बांकाराम पुत्र गोकलाराम 16. बालाराम पुत्र सुखाराम 17. भारूराम पुत्र रामाराम 18. मोमताराम पुत्र रामाराम 19. रेखाराम पुत्र रामाराम 20. तेजाराम पुत्र रामाराम 21. नानगाराम पुत्र रामाराम जातियान जाट, निवासीयान रामसर का कुआं, तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-63/2020 दिनांक-25.11.2021

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा ग्राम करडा नाडां पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1741/1271 रकबा 11.13 बीघा, किस्म बारानी दोयम के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6453-6456

दिनांक- 25/11/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी चेनाराम पुत्र देराज उर्फ हेराज जाति जाट निवासी रामसर का कुआं, तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी लाधुराम पुत्र कुम्पाराम वगैराह जातियान जाट निवासी रामसर का कुआं तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर